राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3075/2023
निशा शर्मा (कर्मचारी आईडी–आरजेजेएल201921008443)

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शाासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.), राज. बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.11.2023
आदेश की दिनांक : 17.11.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री जितेन्द्र सैनी, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थीया ने मुख्य रूप से यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थीया एक दिव्यांग महिला है जो अपने गृह जिला बस्सी, जयपुर से लगभग 550 किलोमीटर दूर तृतीय श्रेणी अध्यापिका लेवल– प्रथम, के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, माधव नगर, लेटा, पंचायत समिति जालौर, जिला जालौर (राज.) में पदस्थापित है। जिससे अपीलार्थीया को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पडती है। अतः अपीलार्थीया का कथन है कि उसे उसके गृह जिले जयपुर में पदस्थाति किया जाये।
2. हमनें अपीलार्थीया द्वारा दिये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थीया का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि अपीलार्थीया का पदस्थापन आदेश दिनांक 18.02.2019 के द्वारा जालौर जिले में हुआ था और तभी से अपीलार्थीया वहीं कार्यरत है। अपीलार्थीया अपना स्थानांतरण अपने गृह जिले में कराना चाहती है। इस हेतु अपीलार्थीया ने यह अपील इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है। स्थानांतरण के संबंध में प्रशासन ही उचित आदेश पारित कर सकता है। किसी कर्मचारी का किसी निश्चित स्थान पर स्थानांतरण किया जाये, इसके लिए यह अधिकरण आदेश प्रदान नहीं कर सकता है। अपीलार्थीया अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों को

अंकित करते हुए प्रत्यर्थी विभाग में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

3. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)